न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/58/2023	2023/330	26.07.2023	14.01.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. राकेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी स्कीम नंबर 10, अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।
2. श्री जनार्दन शर्मा —अधिवक्ता अप्रार्थी।

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों/कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 05.03.2020 को दिये गये निर्देश की अनुपालना में श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण किए जाने पर सिलेण्डर पकडने की सूचना मिलने पर जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह श्री सुदर्शन कुमार के०पी० जांच हेतु रमेश शक्तिवाला चक्की के पास साहब जोहडा दुकान पर पहुंचे।

मौके पर श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता, उम्र 45 वर्ष, जाति महाजन, निवासी स्कीम नं0—10, अलवर उपस्थित मिले। मौके पर गोदाम/दुकान मै० राकेश प्रोविजन स्टोर में 3 घरेलू गैस सिलेण्डर्स 189151T-D, 773947-S, 339496-S पाये गये।

उक्त सभी सिलेण्डर्स द्वारा छोटे पेट्रोमैक्स में गैस भरने के लिए उपयोग में लिया जाना पाया गया। वक्त मौका जांच उक्त सिलेण्डर्स के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता, उम्र 45 वर्ष, जाति महाजन, निवासी स्कीम नं0—10, अलवर (राज०) द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण करना संदेह की श्रेणी में आता है, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उक्त भरे हुए 3 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) को मै० ज्योति गैस सर्विस, अलवर के प्रतिनिधि श्री संजीव कुमार को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 3 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर्स (क्षमता 14.2 किग्रा) को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन शर्मा ने बहस के दौरान तर्क दिया कि उनके मुवक्किल द्वारा सिलेण्डरों का कोई दुरूपयोग नहीं किया जा रहा था और न ही वे अवैध

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रिफिलिंग में लिप्त थे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी परचूनी की दुकान चलाता है वह गरीब आदमी है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध कोई व्यक्तिगत कानूनी कार्यवाही नहीं की जावे। उन्होंने प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पूर्ण।

प्रार्थी, विभागीय प्रतिनिधि ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिनांक 05.03.2020 को साहब जोहडा स्थित "मैसर्स राकेश प्रोविजन स्टोर" पर निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षकण मौके पर अप्रार्थी श्री राकेश कुमार उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान दुकान/गोदाम में 3 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) पाए गए।

निरीक्षण टीम ने पाया कि उक्त सिलेण्डरों का प्रयोग छोटे पेट्रोमैक्स में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग (पलटी) करने हेतु किया जा रहा था। मौके पर अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों के क्रय, स्वामित्व या भण्डारण के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या गैस कनेक्शन कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जप्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा और उभय पक्षों के तर्कों का गम्भीरता से परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि दिनांक 05.03.2020 को अप्रार्थी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान "मैसर्स राकेश प्रोविजन स्टोर" से 3 घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर बरामद हुए। द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग या बिना वैध प्राधिकार के भण्डारण पूर्णतः निषिद्ध है। अप्रार्थी द्वारा निरीक्षण के समय और बाद में सुनवाई के दौरान उक्त जप्तशुदा सिलेण्डरों के सम्बन्ध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। एक "प्रोविजन स्टोर" (व्यावसायिक स्थल) पर 3 घरेलू सिलेण्डरों का पाया जाना स्वयं में संदेह उत्पन्न करता है और यह दर्शाता है कि इनका उपयोग घरेलू प्रयोजन से इतर किया जा रहा था। अप्रार्थी का मात्र यह कथन कि "दुरुपयोग नहीं किया जा रहा था", साक्ष्य के अभाव में स्वीकार्य नहीं है। विभागीय कार्यवाही और मौका फर्द से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी परचूनी की दुकान चलाता है वह गरीब आदमी है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध कोई व्यक्तिगत कानूनी कार्यवाही नहीं की जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, अप्रार्थी के विरूद्ध कोई व्यक्तिगत कानूनी कार्यवाही नहीं की जावे। जप्तशुदा 3 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता), को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 3 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से खारिज हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)